Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XIV, Issue No. 2, January-2018, ISSN 2230-7540

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना: एक अध्ययन छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में

Gurudeep Raghuvanshi*

Research Scholar of Commerce, Vikram University, Ujjain, MP

***सार -** विकेंद्रीकरण के क्षेत्र में केंद्र सरकार सांसद निधि से विकास की योजना का अनुसरण करते हुए म.प्र. सरकार ने विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों के विकास हेतु विधायक निधि प्रदान कर योजना विकेंद्रीकरण के प्रयास को गति दी है। विधानसभा के सभी सदस्यों से उनके निर्वाचन क्षेत्र के निवासी स्थायी स्वरूप के कार्यों को कराने के लिए अनुरोध करते हैं, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मुख्यमंत्री के अनुमोदन के पश्चात् वर्ष 2006-07 में 80 लाख रू. तक के विकास एवं निर्माण कार्य करने हेतु अनुशंसा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तद्नुसार "विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना" वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आई। इस योजना के तहत विधायकगण प्रतिवर्ष निर्धारित राशि (रू. 80 लाख) के छोटे कार्य जो एक या दो मौसम में पूर्ण किये जा सकें, में उनकी अनुशंसा कर सकते हैं। विधानसभा सदस्यों द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर प्राथमिकतायें निर्धारित करते हुये कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करते हैं। योजना से स्वीकृत कार्यों को जिले की सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से क्रियान्वित कराया जाता है।*

---------------------------------x--------------------------------

प्रस्तावना

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की मुख्य विशेषतायें-

- इस योजना के अंतर्गत जिन कार्यों की अनुशंसा की जाती है वे जिले के भीतर चल रही जिला योजनाओं और केंद्र प्रायोजित तथा केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के सामान्य स्वरूप के अनुरूप होते हैं। इनका कार्यान्वयन अन्य सभी कार्यों के साथ साथ ही किया जा सकता है, वे विधानसभा सदस्य द्वारा अनुशासित कार्य के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। इस प्रकार इन कार्यों की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया समान कार्यों की सामान्य स्वीकृति एवं कार्यान्वयन को संचालित करने वाली प्रक्रियाओं जिनका कार्यान्वयन प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा किया जाता है, से भिन्न नहीं है। विधायकों के सुझावों को जिला कलेक्टर द्वारा संकलित किया जायेगा एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना मार्गदर्षिका के अंतर्गत उन पर विचार कर सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये यथासंभव जिले में चल रहे जिला योजना कार्यक्रमों एवं अन्य केन्द्रीय प्रायोजित तथा केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है।

- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना मार्गदर्षिका की सीमा के अंतर्गत आने वाले कार्यों, जिनके लिये विधायकों द्वारा अनुशंसा की जाती है, की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित जिलों में सामान्य विभागीय प्रक्रियाओं के अनुरूप प्रदान की जायेगी। कार्यों को जिलाधीषों द्वारा जिले के सरकारी अभिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित कराया जाता है।

- योजनान्तर्गत 10 लाख रू. की लागत के कार्यों की स्वीकृति हेतु जिलाधीष अधिकृत है। कार्य की लागत यदि 10 लाख रू. से अधिक हो तो ऐसे कार्यों पर विधानसभा का मत (बजट के माध्यम से) प्राप्त कर विभागाध्यक्ष (राज्य योजना मंडल) द्वारा स्वीकृति दी जाती है।

- राज्य शासन द्वारा विभिन्न निर्माण विभागों द्वारा संपादित इस योजना के कार्यों को पर्यवेक्षण प्रभाव से मुक्त किया गया है। संबंधित निर्माण विभाग द्वारा केवल कार्य की लागत के बराबर ही धनराशि की मांग की जाती है जिसमें पर्यवेक्षण प्रभार नहीं जोड़े जाते हैं।

- अनुशासित कार्य की क्रियान्वयन एजेंसी का निर्धारण विधायक के परामर्श से ही किया जाता है। विधायकों के अनुशासित कार्य के प्राक्कलन चिन्हित एजेंसी से हिन्दी में बनवाकर उपलब्ध कराये जाते हैं तथा उनसे कार्य विशेष के प्राक्कलन पर सहमति करने के बाद ही, कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- चिन्हित क्रियान्वयन एजेंसी का प्राक्कलन प्राप्त करते समय कार्य पूर्णता की अवधि ज्ञात कर प्रशासकीय स्वीकृति आदेश में अंकित कर दिये जाते हैं। एजेंसी द्वारा समयावधि में कार्य पूर्ण करने में असमर्थता व्यक्त करने पर एजेंसी को परिवर्तित करने पर तत्काल विचार किया जाता है।

- योजना के कार्यों को चिन्हित करने के लिये कार्यस्थल पर पत्थर का एक पटल, जिस पर स्वीकृत/पूर्ण कार्य के संबंध में आवश्यक जानकारी यथा योजना का नाम, कार्य की लागत, क्रियान्वयन एजेंसी का नाम, कार्य की पूर्णता की तिथि अंकित की जाती है।

- योजनांतर्गत किये जाने वाले मुख्य रूप से परिसंपत्ति सृजन स्वरूप के होते हैं, तथा सामग्री उपकरण आदि का क्रय अथवा राजस्व खर्च की अनुमति नहीं दी जाती। कार्य इस तरह के होते हैं जो काम के एक अथवा दो मौसमों में पूरे हो सकते हैं तथा जिसमें टिकाऊ स्वरूप की परिसंपत्तियां सृजित होती हों। योजना के तहत स्थानीय अनुभूत आवश्यकताओं के आधार पर छोटे छोटे विकास कार्यों का चयन किया जाता है। सुझाव के अनुसार लिये जाने वाले कार्य जिला योजना विशेषकर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत आने वाले कार्यों की श्रेणी के होना चाहिए।

योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्य -

विधायक निधि से निम्नानुसार कार्य करवाये जा सकते हैं -

- शालाओं का निर्माण, निर्वाचन क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालय एवं विद्यालय में आवश्यक निर्माण/ विकास कार्य।

- शिक्षण संस्थाओं के लिए फर्नीचर/टाट फट्टी क्रय की व्यवस्था, राजीव गांधी बहु. माध्यमीय अध्ययन केंद्र, वीसेट क्रय एवं सेट की स्थापना।

- सार्वजनिक वाचनालय एवं अध्ययन केंद्र का निर्माण।

- गांवों, कस्बों अथवा नगरों के लोगों के लिए नलकूप खोदकर अथवा उससे संबंधित अन्य कार्यों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना एवं पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पॉवर पम्प, पाईप लाइन का डाला जाना।

- ग्रामीण सड़कों तथा संपर्क सड़कों का निर्माण, शहरी/ग्रामीण आबादी क्षेत्र की आंतरिक सड़कों का डामरीकरण। पैदल पथ तथा पैदल चलने वालों के लिए पुल का निर्माण करना।

- वृद्ध एवं विकलांगों के लिए सामुदायिक रैन बसेरों का निर्माण करना।

- सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों के लिए छोटे भवनों का निर्माण करना एवं चैपाल चबूतरा निर्माण करना।

- शासकीय एवं सामुदायिक भूमि पर सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, बागवानी, उद्यानों बगीचों का निर्माण करना।

- ग्रामीण तालाबों से गाद निकालना।

- गांवों में खंडज मार्गों का निर्माण करना।

- सामुदायिक उपयोग एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिए सार्वजनिक गोबर गैस संयंत्र, गैर परंपरागत ऊर्जा प्रणालियों/उपादानों का निर्माण करना।

- जल संवर्द्धन योजनायें, उद्वहन सिंचाई योजनायें एवं सामूहिक ट्यूब वैल्स का खोदा जाना।

- बालवाड़ी एवं आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण करना।

- परिवार कल्याण उपकेंद्रों सहित जन स्वास्थ्य भवनों तथा चीरगृहों का निर्माण करना।

- शवदाह गृह/कब्रिस्तानों का निर्माण करना।

- सार्वजनिक शौचालयों तथा स्नानगृहों का निर्माण करना।

- नालियों और नालों का निर्माण करना।

- सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने वाले लोगों के लिये बस स्टापों/शेडों का निर्माण करना।

- भूमि संवर्द्धन कार्य करना।
- विद्युत लाइन डालने में आवश्यक हो तो ही ट्रांसफार्मर की स्थापना करना।
- अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करना।
- पशु चिकित्सा सहायता केंद्र/कांजी हाउस तथा गौशाला का निर्माण करना।
- शहरी गंदी बस्तियों, कस्बों और गांवों में पानी, रास्ते में सार्वजनिक शौचालयों जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था, गंदी बस्तियों में कारीगरों के लिए सार्वजनिक वर्कशेडों का निर्माण और नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट लगाने संबंधी कार्य करना।
- सामाजिक संगठनों द्वारा शासन की स्वीकृति पर भवन/धर्मशाला आदि का निर्माण करना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु भंडारण व्यवस्था का निर्माण।
- शासकीय भवनों में एक लाख की वित्तीय सीमा तक मरम्मत संबंधी कार्य करना।
- बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों हेतु पंचायतों के अंशदान/जनसहयोग के रूप में प्रदाय की जाने वाली 15 प्रतिशत की सीमा में प्राप्त जनसहयोगों की अवशेष राशि विधायक निधि से अनुशासित की जा सकती है।
- जन सुविधा केंद्र की स्थापना करना। एम्बुलेंस का क्रय (एम्बुलेंस के संचालन एवं संधारण की व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा किये जाने की शर्त पर)।

इस योजना के अंतर्गत कार्य के लिए ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम राशि का भुगतान करना निषिद्ध है। जहां कहीं भी मार्गदर्शिका ठेकेदारों/प्रायोजकों को काम में लगाने की अनुमति नहीं देती वहां ठेकेदारों/प्रायोजकों को काम देना निषिद्ध है। जिलाधीषों द्वारा यह सुनिष्चित किया जायेगा कि इस योजना के अंतर्गत आरंभ किये जाने वाले कार्यों का रख रखाव संबंधित स्थानीय निकाय अथवा संबंधित एजेंसी द्वारा किया जाये।

कार्यों की स्वीकृति तथा क्रियान्वयन -

1. इस योजना के अंतर्गत कार्यों के बारे में सुझाव प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टरों द्वारा विधानसभा सदस्यों से लिखित सुझाव मांगे जाने चाहिए अथवा अपने जिले के सभी विधान सभा सदस्यों के साथ वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में बैठक बुलाई जाना चाहिए। इस मार्गदर्शिका के आलोक में विधान सभा सदस्यों द्वारा अनुशासित कार्यों की समीक्षा करने के पश्चात् जिला कलेक्टरों द्वारा योजना के अंतर्गत इन्हें विचारार्थ एवं जिला योजनाओं तथा जिलों में चल रहे केंद्रीय प्रायोजित व केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों में योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दर्शाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध किया जाता है।

2. जिलाधीषों द्वारा योजना के अंतर्गत विधानसभा सदस्यों द्वारा अनुशासित कार्यों की सूची इस प्रकार निर्धारित करने के पश्चात् यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसमें निर्दिष्ट एजेंसियों/विभागों/संगठनों को भेजा जाये।

3. यदि जिलाधीष उल्लेखित रूप से विधानसभा सदस्यों द्वारा अनुशासित कार्यों की सूची में से किसी कार्य पर विचार कर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है तो उनके द्वारा यथा शीघ्र योजना विभाग को उसके कारणों आवश्यकताओं आदि के संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रतिवर्ष जून के अंत से पहले प्रेषित करना आवश्यक होता है। योजना विभाग इस प्रतिवेदन की जांच करता है एवं यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त कार्यवाही करता है।

4. योजना विभाग राज्य स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन का केंद्रीय विभाग होता है। योजना विभाग इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर की सभी योजना एवं कार्यान्वयन एजेंसियों को सुपुर्द किये गये कार्यों के बारे में जिलाधीषों को सहयोग सहायता और कार्यान्वयन संबंधी सामान्य अनुदेश निर्गमित करता है।

5. चूंकि इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की एजेंसियों यथा लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा

www.ignited.in

कार्यों को विचारार्थ शामिल स्वीकृत और कार्यान्वित किया जाता है अतः संबंधित जिलाधीष जिलास्तर पर इस योजना के अंतर्गत कार्यों में समन्वय बैठाने और संपूर्ण प्रयवेक्षण के लिए उत्तरदायी माना जाता है।

6. योजना के अंतर्गत शुरू किये गये सभी कार्यों पर सामान्य वित्तीय और लेखा परीक्षा प्रक्रिया लागू होगी।

एजेंसी का चयन संस्था स्वयं कर सकेगी तथा शासकीय निर्माण एजेंसी द्वारा किये गये कार्य के मूल्यांकन के आधार पर 75 प्रतिशत राशि (अधिकतम रू. 10.00 लाख) का भुगतान अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं को किया जा सकता है।

छिंदवाड़ा जिले में विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र विकास योजना

छिंदवाड़ा जिले में नवंबर 2008 से पूर्व 8 विधानसभा क्षेत्र थे। आरक्षित क्षेत्र (अनुसूचित जनजाति) में दमुआ, जामई और अमरवाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते थे। परासिया क्षेत्र अनुसूचित जाति में आरक्षित था।

नवम्बर 2008 में जो चुनाव हुए उनमें छिंदवाड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्रों का सीमांकन कर दिया गया। छिंदवाड़ा जिले के 11 विकासखंडों को पहले 8 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया था। उनका परिसीमन 7 विधानसभा क्षेत्रों में इस प्रकार कर दिया गया। जिसका प्रदर्षन निम्नानुसार किया जाता है -

तालिका क्रमांक 1

छिंदवाड़ा जिला - विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का विवरण

जुन्नारदेव (अनुसूचित जनजाति)	I. तामिया तहसील में 1. तामिया रा.नि.मं. का 1– झिरपा, 2–अन्होनी, 3–[illegible], 4–बम्हनी, 5–देलाखारी, 6–कुर्सीढाना, 7–मुलोर, 8–धूसावानी, 9–तामिया और 10–लहगडुआ पटवारी सर्किले तथा II. जामई (जुन्नारदेव) तहसील
अमरवाड़ा (अनुसूचित जनजाति)	I. अमरवाड़ा तहसील तथा II. तामिया तहसील में 1. तामिया रा.नि.मं. का 11–[illegible], 12–बिजोरी, 13–छिन्दी, 14–जोगीमुआर, 15–कुम्हाली, 16–नागरी और 17–खिरेटी पटवारी सर्किले।
चौरई (सामान्य)	I. चौरई तहसील तथा II. बिछुआ तहसील
सौसर (सामान्य)	I. सौसर तहसील तथा II. छिंदवाड़ा तहसील में 1. इकलबेहरी रा.नि.मं.
छिंदवाड़ा (सामान्य)	I. छिंदवाड़ा तहसील में 1. छिंदवाड़ा–1 रा.नि.मं. 2. छिंदवाड़ा–2 रा.नि.मं. तथा 3. छिंदवाड़ा नगरपालिका (नगर पालिका+बाह्य वृद्धि)।
परासिया (अनुसूचित जाति)	I. परासिया तहसील
पांढुर्णा (अनुसूचित जनजाति)	I. पांढुर्णा तहसील तथा II. छिंदवाड़ा तहसील में 1. सावरी रा.नि.मं.

स्रोत - म.प्र. राजपत्र, 14 मई 2007 ।

वर्तमान में सामान्य क्षेत्र में चैरई, सौंसर एवं छिंदवाड़ा तीन क्षेत्र रह गये हैं जिनकी पहले संख्या 4 थी। अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र में केवल परासिया विधानसभा क्षेत्र है। अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र में - जुन्नारदेव, अमरवाड़ा एवं पांढुर्णा को रखा गया है। दमुआ विधानसभा क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया है एवं जामई विधानसभा क्षेत्र का नाम परिवर्तित करके जुन्नारदेव कर दिया गया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र योजना मध्यप्रदेश के संपूर्ण जिलों में वर्ष 1994 से प्रारंभ हो चुकी है। प्रतिवर्ष निर्धारित राशि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए उपलब्ध करायी जाती है। उपलब्ध राशि का प्रयोग शासन के दिशा निर्देषों के अनुसार किया जाता है।

उपसंहार

विधायकों द्वारा स्वेच्छानुदान निधि एवं अशासकीय छुटपुट सहायता एवं गरीबों, असहाय, वृद्धों, निःशक्तों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे आकस्मिक आवश्यक खर्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है। जिसमें क्षेत्र के माननीय विधायकों को समस्याओं से अवगत कराने पर यह राशि प्राप्त हो जाती है एवं यह छोटी छोटी राशि गरीब जनता की अनिवार्यताओं की पूर्ति कर देती है। व्यवहार में इस योजना का लाभ वहां दे दिया जाता है, जहां इसकी अधिक उपयोगिता नहीं है। प्राथमिकता जिन्हें दी जानी चाहिए वे विधायकों की पहुंच से दूर रहे है या उन्हें यह लाभ नहीं दिया जाता। छिंदवाड़ा जिले में विधायक निधि योजना द्वारा जो कार्य एवं व्यय हुआ है उससे निश्चित रूप से इस क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक एवं संरचनात्मक विकास हुआ है एवं क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किये गये हैं। यह तभी संभव हो पाया है जबकि इस निधि के प्रयोग के अधिकार स्थानीय स्तर पर दिये गये अर्थात् योजना विकेंद्रीकरण का यह सराहनीय प्रयास रहा है। विधायक निधि स्वेच्छानुदान से बेसहारा लोगों की मदद का कार्य जारी है इस तरह से इस योजना से छिंदवाड़ा जिले का विकास हो रहा है। विकास योजनाओं के परिणामस्वरूप ग्रामीण जीवन स्तर, एवं कृषि ढांचे में सुधार हो रहा है साथ ही द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की ओर भी ग्रामीण जनता का आकर्षण बढा रहा है इस तरह से ग्रामीण परिदृश्य में निश्चित रूप में बदलाव आ रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मिश्र एस.के., पुरी वी.के.: भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हाऊस दिल्ली 2003

www.ignited.in

2. पवार डॉ. मीनाक्षी: ग्रामीण विकास विकेंद्रित व्यवस्था, पंचायती राज म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 1996

3. यादव सुभाष सिंह भारत में नियोजन एवं विकास प्रिंटवेल जयपुर, प्रथम संस्करण

4. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना - मार्गदर्षिका, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राज्य योजना मंडल म.प्र. भोपाल

5. जिला गजेटियर छिंदवाड़ा 1995

6. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, छिंदवाड़ा 2008

7. जिला विकास पुस्तक 2007 जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय छिंदवाड़ा

8. www.mplads.nic.in

Corresponding Author

Gurudeep Raghuvanshi*

Research Scholar of Commerce, Vikram University, Ujjain, MP